ायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
अनूप सिंह (आरटीएस)
दिनांक–14.11.19

मि.न.–82 / 2019

सरकार बनाम ~~फत्ताराम~~ भंवरा

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल अनुपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नारहेडा ने एक रिर्पोट इस आशय कि पेश की है कि सम्वत 2076 में वाके ग्राम नारहेडा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 617 रकबा 2.72है0 किस्म जमीन गै0 मु0 रास्ता मेंसे 0.01है0 पर भंवरा पुत्र गुल्ला जाति माली सा0देह तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने जोत की जाकर कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत स्त?।ब्ज 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायल उपस्थित नहीं आया । इसलिए गैरसायल के विरूद्व एक पक्षिय कार्यवाही की जाती है। अतः गैरसायल भंवरा पुत्र गुल्ला जाति माली सा0देह तहसील कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा वाके ग्राम नारहेडा के खसरा नंबर 617 / 2.72 है0 में से 0.01है0 किस्म जमीन गै0 मु0 रास्ता पर जोत की जाकर अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण सिद्व होता है अतः अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमियों के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्तन्न होगी ।

अतः भंवरा पुत्र गुल्ला जाति माली सा0देह तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम नारहेडा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 617 / 2.72 है0,किस्म जमीन गै0 मु0 रास्ता मे से 0.01है0 पर अतिक्रमी धोषित करते हुये उक्त आराजियात पर की गई जोत का हटाया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 0.30का पचास गुणा 15 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार बेदखली,पैनल्टी वसुली हेतु भू0 अ0 नि0 व पंटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व माग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 14.11.19 को सरे इजलास सुनाया गया ।

2019-02 ... क रा० ले० ... पृष्ठ संख्या 52 पर ... 15 रुपये कायम किये गये ।
26/11/19
राजस्व लेखाकार
कोटपूतली